

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी (छ.ग.)

// कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक क/एक-11-02/2018

धमतरी, दिनांक 06/09/2025

मैं राम कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी (छ.ग.) सिविल जिला धमतरी में न्यायाधीशों के मध्य सिविल कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किए गए समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 8(7) एवं 8(8) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत एतद् द्वारा सिविल जिला धमतरी एवं सत्र खण्ड धमतरी के न्यायालयों और अधिकरणों के मध्य सिविल, मोटर दुर्घटना दावा, विशेष दांडिक व सत्र प्रकरणों तथा अन्य सिविल एवं दांडिक कार्य व आवेदनों (न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) का निम्नानुसार कार्य विभाजन जारी करता हूं, जो दिनांक 08/09/2025 से प्रभावशील होगा तथा लंबित सिविल एवं दांडिक मामलों पर इसका प्रभाव नहीं होगा :-

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों के प्रकार
1	2	3	4
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी, विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम, विशेष न्यायाधीश, मनः प्रभावी पदार्थ एवं स्वापक औषधि अधिनियम (एनडीपीएस) विशेष न्यायाधीश, निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005, विशेष न्यायाधीश, ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट एवं प्रधान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	सिविल जिला एवं सत्र खण्ड धमतरी (तहसील कुरुद, मगरलोड, भखारा को छोड़कर)	<ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र प्रकरण। 2. दांडिक अपील प्रकरण। 3. दांडिक पुनरीक्षण। 4. दांडिक प्रकरणों के अंतरण संबंधी आवेदन। 5. जमानत याचिका अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। (पॉक्सो अधिनियम एवं रेप केसेस तथा कुरुद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को दिये गये मामलों को छोड़कर) 6. अन्य विविध दांडिक प्रकरण। 7. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 से संबंधित समस्त दांडिक/विशेष दांडिक, विविध दांडिक प्रकरण, रिमाण्ड एवं जमानत याचिका। (पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरण को छोड़कर) 8. विधि एवं विधायी कार्य विभाग छ.ग. शासन की अधिसूचना क्रमांक-103 दिनांक 07.01.2025 के अनुसार एन.डी.पी.एस.एक्ट से संबंधित समस्त दांडिक/विशेष दांडिक, विविध दांडिक प्रकरण, रिमाण्ड एवं जमानत याचिका। 9. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित समस्त दांडिक/विशेष दांडिक, विविध दांडिक प्रकरण, रिमाण्ड एवं जमानत याचिका। 10. विद्युत अधिनियम 2003 से संबंधित समस्त दांडिक/विशेष दांडिक, विविध दांडिक प्रकरण, रिमाण्ड एवं जमानत याचिका। 11. छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 से संबंधित समस्त मामले।

		<p>12. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 से संबंधित अपराध के समस्त प्रकरण।</p> <p>13. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित समस्त मामले।</p> <p>14. नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों के दमन (संशोधन) अधिनियम, 1994 से संबंधित समस्त मामले।</p> <p>15. समस्त सिविल वाद, जिनका मूल्यांकन 10,00,000/- (दस लाख रुपये) से ऊपर है तथा उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाही एवं निष्पादन कार्यवाही।</p> <p>16. राशि 25,00,000/- तक के सभी मध्यस्थता मामले जो एम.जे.सी., निष्पादन मामलों से संबंधित हो तथा ऐसे प्रकरण जो माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार संस्थित हुए हों।</p> <p>17. सहकारी समिति अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>18. लोक न्यास अधिनियम 1961 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>19. व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 एवं प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 से संबंधित समस्त सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण।</p> <p>20. कंपनी अधिनियम के तहत जिला न्यायाधीश द्वारा विचारण योग्य समस्त मामले (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार दो वर्ष अथवा अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर)</p> <p>21. राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 से संबंधित समस्त मामले।</p> <p>22. धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित समस्त आवेदन एवं मामले।</p> <p>23. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं कनिष्ठ श्रेणी धमतरी, नगरी न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत समस्त नियमित एवं विविध सिविल अपील।</p> <p>24. मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 163 (ए) 166 एवं 140 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण धमतरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं इससे संबंधित विविध तथा निष्पादन प्रकरण। (अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कुरुद के क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों को छोड़कर)</p> <p>25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यवहार अपील क्रमांक 9322/2022 (एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 32448/2018 से उत्पन्न) " गोहर मोहम्मद बनाम यूपीएसआरटीसी व अन्य के पैरा 62 (iii) एवं (iv) में दिये गये दिशा निर्देश के पालन में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण धमतरी जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र धमतरी, रुद्री, अकलाडोंगरी, अर्जुनी, कुरुद, भखारा, मगरलोड, चौकी बिरेझर, चौकी करेली बड़ी, सिहावा, नगरी, केरेगांव, दुगली,</p>
--	--	--

		<p>मेचका, खल्लारी, बोराई, एवं उक्त थानो से संबंधित पुलिस चौकियों को संलग्न किया जाता है।</p> <p>26. भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा किये गये रिफरेंस के सभी मामले।</p> <p>27. इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के वाणिज्यिक अधिनियम के तहत सभी मामले, रायपुर में स्थापित विशेष वाणिज्यिक न्यायालय के मामले को छोड़कर।</p> <p>28. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत सभी अपीलीय मामले। (जिला न्यायाधीश कुरुद के क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों को छोड़कर)</p> <p>29. प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम के अंतर्गत सभी मामले।</p> <p>30. खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण के अंतर्गत सभी मामले।</p> <p>31. राजस्व जिले धमतरी के लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत मामले।</p> <p>32. धारा 33, 34 एवं 36 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित आवेदन/कार्यवाहियों</p> <p>33. राजस्व जिला धमतरी के अंतर्गत उत्पन्न छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली चुनाव याचिकाएं। (कुरुद के क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों को छोड़कर)</p> <p>34. नगरपालिका निगम के आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सिविल अपील।</p> <p>35. सिविल एवं राजस्व जिला धमतरी के अंतर्गत अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं दंडाधिकारियों अनुभाग कुरुद एवं नगरी द्वारा पारित आपराधिक आदेश का पुनरीक्षण।</p> <p>36. दिव्यांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 की संख्या 49) के अंतर्गत व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित मामले।</p> <p>37. लघु वाद न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत 500/-रूपये से अधिक एवं 1000/-रूपये तक मूल्य के लघु वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>38. समस्त सिविल प्रकरण, जिसे इस आदेश के माध्यम से किसी अन्य न्यायालय को सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं किया गया है।</p>
2	<p>श्रीमती उषा गेंदले, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी) पॉक्सो एवं रेप केसेस, धमतरी एवं अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण</p>	<p>सिविल जिला एवं सत्र खण्ड धमतरी</p> <p>1. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिसूचना क्रमांक-3618 दिनांक 09/05/2013 के अनुसार फास्ट ट्रेक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए) का कार्य निष्पादन।</p> <p>2. लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित समस्त दांडिक/विशेष दांडिक, विविध दांडिक प्रकरण, रिमाण्ड एवं जमानत याचिका।</p> <p>3. विधि एवं विधायी कार्य विभाग की</p>

		<p>अधिसूचना क्रमांक 7671 दिनांक 07.08.2015 एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के विविध सिविल प्रकरण क्रमांक 138/2021 छत्तीसगढ़ राज्य वगैरह विरुद्ध रामस्वरूप राजवाड़े में पारित आदेश दिनांक 07.06.2021 के अनुसार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 से संबंधित मामले।</p> <p>4. पॉक्सो अधिनियम एवं रेप केसेस से संबंधित जमानत आवेदन।</p> <p>5. किशोर न्याय बोर्ड धमतरी के आदेश/निर्णय से उद्भूत समस्त दांडिक अपीलें अंतर्गत धारा 101 किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015।</p> <p>6. उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित "बालक न्यायालय" के रूप में कार्य करना तथा उस नाते अंतरित होकर या अन्यथा प्राप्त मामलों में कार्यवाही करना।</p> <p>7. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.) धमतरी के न्यायालय द्वारा दुर्घटना दावा प्रकरण, दावा निष्पादन, दावा एम.जे.सी. में घोषित अधिनिर्णय एवं आदेश से संबंधित दावा निष्पादन आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं आदेश, आवेदन, मामलों के पुनर्स्थापना संबंधित दावा एम.जे.सी. प्रकरण तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित चेक जमा करना, आहरण एवं अवार्ड की राशि के भुगतान इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन।</p> <p>8. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.) धमतरी के न्यायालय द्वारा सिविल वाद, सिविल निष्पादन, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद में घोषित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेश से संबंधित प्रकरण, निष्पादन आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित आदेश एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से उक्त न्यायालय से संबंधित सिविल प्रकरणों के संबंध में प्राप्त अभिलेख एवं आदेश, आवेदन, मामलों के पुनर्स्थापना संबंधित सिविल एम.जे.सी. प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन।</p> <p>9. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</p> <p>10. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।</p>
3	श्री मोहन सिंह कोराम, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धमतरी	<p>सिविल जिला एवं सत्र खण्ड धमतरी</p> <p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</p> <p>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।</p>

			3. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के परिपत्र क्रमांक 9687/II-6-2/2023 (MP/MLA)/(Checker) बिलासपुर दिनांक 02/08/2023 के परिपालन में सांसद एवं विधायकों (MP/MLA) से संबंधित समस्त मामले।
4	श्रीमती नमिता मिंज भास्कर, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी के न्यायालय में प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश धमतरी/ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण धमतरी	सिविल जिला एवं सत्र खंड धमतरी	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।
5	श्रीमती अर्चना भास्कर, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी के न्यायालय में द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश धमतरी/ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण धमतरी	सिविल जिला एवं सत्र खंड धमतरी	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।
6	श्रीमती तनुश्री गवेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी	सिविल जिला धमतरी	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल मामले। 2. रुपये 5,00,001/- से रुपये 10,00,000/- तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल मामले तथा उनसे संबंधित विविध सिविल प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाही। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के पार्ट-10 के तहत समस्त मामले। 4. छ.ग. म्यूनिसिपल एक्ट 1961 के तहत समस्त अपील। 5. रुपये 1/- से रुपये 500/- तक के मूल्यांकन के समस्त लघु व्यवहार वाद तथा उनसे संबंधित विविध सिविल प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाही। 6. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (प्रधान जिला न्यायाधीश धमतरी के न्यायालय के मामलों को छोड़कर) के सभी मामले। 7. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी धमतरी के न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुनर्स्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन। 8. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश धमतरी एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी धमतरी के न्यायालय अथवा अन्य किसी भी व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी धमतरी के न्यायालय के रिक्त हो जाने के कारण उनके न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल एवं दांडिक प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं निष्पादन तथा अन्य कार्यवाहियों से संबंधित समस्त प्रकार की कार्यवाहियों।

			<p>9. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी धमतरी एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश धमतरी के न्यायालय द्वारा सिविल एवं दांडिक प्रकरणों में घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एवं विविध दांडिक कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित सिविल एम.जे.सी. प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन।</p> <p>10. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।</p> <p>11. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के परिपत्र क्रमांक 9687/II-6-2/2023 (MP/MLA)/(Checker) बिलासपुर दिनांक 02/08/2023 के परिपालन में सांसद एवं विधायकों (MP/MLA) से संबंधित समस्त मामले।</p>
7	<p>कु. मीनू नंद, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी धमतरी/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धमतरी</p>	सिविल जिला धमतरी	<p>1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</p> <p>2. रुपये 01/- से रुपये 5,00,000/- तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल मामले तथा उनसे संबंधित विविध सिविल प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाही।</p> <p>3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।</p> <p>4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक मामले।</p> <p>5. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी धमतरी के न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन।</p> <p>6. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी धमतरी एवं अन्य व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के रिक्त होने के कारण उनके द्वारा सिविल एवं दांडिक प्रकरणों में घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एवं विविध दांडिक कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित सिविल एम.जे.सी. प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन।</p>
8	<p>श्री प्रणव वैद्य, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी धमतरी/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी धमतरी</p>	सिविल जिला धमतरी	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</p> <p>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।</p>

			<p>3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी द्वारा अंतरित किये जाने वाले समस्त दांडिक मामले।</p> <p>4. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी धमतरी के न्यायालय द्वारा सिविल एवं दांडिक प्रकरणों में घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एवं विविध दांडिक कार्यवाहियां एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित सिविल एम.जे.सी. प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन।</p>
9	श्री राधेश्याम ध्रुव, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी, के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-कुरुद	तहसील कुरुद, मगरलोड, भखारा क्षेत्र से उद्भूत सिविल प्रकरण एवं थाना कुरुद, भखारा, मगरलोड से उत्पन्न सत्र प्रकरण, जमानत याचिका एवं अन्य दांडिक प्रकरण	<p>1. सत्र प्रकरण।</p> <p>2. दांडिक अपील प्रकरण।</p> <p>3. दांडिक पुनरीक्षण।</p> <p>4. जमानत याचिका अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। (विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों को छोड़कर)</p> <p>5. अन्य विविध दांडिक प्रकरण।</p> <p>6. समस्त सिविल वाद, जिनका मूल्यांकन 10,00,000/- (दस लाख रुपये) से ऊपर है तथा उनसे संबंधित विविध न्यायिक कार्यवाही एवं निष्पादन कार्यवाही।</p> <p>7. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं कनिष्ठ श्रेणी कुरुद, न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत समस्त नियमित एवं विविध सिविल अपील।</p> <p>8. मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 163 (ए) 166 एवं 140 के अंतर्गत अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कुरुद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं इससे संबंधित विविध तथा निष्पादन प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यवहार अपील क्रमांक 9322/2022 (एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 32448/2018 से उत्पन्न) " गोहर मोहम्मद बनाम यूपीएसआरटीसी व अन्य के पैरा 62 (iii) एवं (iv) में दिये गये दिशा निर्देश के पालन में अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कुरुद को कुरुद न्यायालय के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र को संलग्न किया जाता है।</p> <p>10. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत कुरुद के व्यवहार न्यायालय से उद्भूत सभी अपीलीय मामले जो जिला न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य है।</p> <p>11. धारा 34 एवं 36 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित आवेदन/कार्यवाहियों, जो कुरुद अनुविभाग से उद्भूत है।</p> <p>12. अनुविभाग कुरुद, राजस्व जिला धमतरी के अंतर्गत उत्पन्न छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली चुनाव याचिकाएं।</p>

		<p>13. सिविल एवं राजस्व जिला धमतरी के कुरुद अनुविभाग के अंतर्गत अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं दंडाधिकारियों द्वारा पारित आपराधिक आदेश का पुनरीक्षण।</p> <p>14. लघु वाद न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत 500/—रूपये से अधिक एवं 1000/—रूपये तक मूल्य के लघु वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>15. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय कुरुद के न्यायालय द्वारा दुर्घटना दावा प्रकरण, दावा निष्पादन, दावा एम.जे.सी. में घोषित अधिनिर्णय एवं आदेश से संबंधित दावा निष्पादन आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित दावा एम.जे.सी. प्रकरण तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित चेक जमा करना, आहरण एवं अवार्ड की राशि के भुगतान इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन।</p> <p>16. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय कुरुद के न्यायालय द्वारा सिविल वाद, सिविल निष्पादन, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध व्यवहार वाद में घोषित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेश से संबंधित प्रकरण, निष्पादन आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित आदेश एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से उक्त न्यायालय से संबंधित सिविल प्रकरणों के संबंध में प्राप्त अभिलेख एवं आदेश, आवेदन, मामलों के पुर्नस्थापना संबंधित सिविल एम.जे.सी. प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन।</p> <p>17. समस्त सिविल प्रकरण, जिसे इस आदेश के माध्यम से किसी अन्य न्यायालय को सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं किया गया है और जो कुरुद क्षेत्र से संबंधित हैं।</p>
10	श्री रजत कुमार निराला, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कुरुद /न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद,	<p>तहसील कुरुद, मगरलोड, भखारा</p> <p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल मामले।</p> <p>2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित किए गए सभी दांडिक मामले।</p> <p>3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के पार्ट-10 के तहत समस्त मामले।</p> <p>4. छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपल एक्ट 1961 के तहत समस्त अपील।</p> <p>5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।</p> <p>6. रुपये 1/— से 10,00,000/— तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल मामले तथा उनसे संबंधित विविध सिविल प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाही।</p> <p>7. रुपये 500/— तक के मूल्यांकन के समस्त लघु वाद तथा उनसे संबंधित विविध सिविल प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाही।</p>

			<p>8. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कुरुद के न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुनर्स्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन।</p> <p>9. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कुरुद के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन एवं अन्य कार्यवाहियाँ।</p>
11	श्री निलेश कुमार बघेल, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुरुद जिला धमतरी	तहसील कुरुद, मगरलोड, भखारा	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</p> <p>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।</p> <p>3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित किए गए सभी दांडिक मामले।</p> <p>4. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कुरुद द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का अतिरिक्त आदेश, आवेदन, मामलों के पुनर्स्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन।</p> <p>5. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, कुरुद के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन एवं अन्य कार्यवाहियाँ।</p>
12	सुश्री दीपा सुचिता तिकी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगरी	तहसील नगरी	<p>1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा अंतरित किए जाने वाले समस्त सिविल एवं दांडिक मामले।</p> <p>2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।</p> <p>3. रुपये 1/- से 5,00,000/- तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल मामले तथा उनसे संबंधित विविध सिविल प्रकरण एवं निष्पादन कार्यवाही।</p> <p>4. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी नगरी के न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से संबंधित निष्पादन आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन, मामलों के पुनर्स्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन।</p> <p>5. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी नगरी के न्यायालय से उद्भूत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन एवं अन्य कार्यवाहियाँ।</p>

निर्देश :-

- (1) जिस सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पूर्ववर्ती जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई की है, वही पश्चातवर्ती जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई करेंगे। यदि पूर्व जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश लंबी अवधि तक अवकाश पर हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई वह न्यायाधीश करेगा, जो लंबी अवधि पर गये न्यायाधीश के अत्यावश्यक कार्य को उनकी अनुपस्थिति में संपादित करता हो, किंतु प्रकरण के उर्पापण हो जाने के बाद की सुनवाई के लिए सौंपे गये सत्र/अतिरिक्त न्यायालय के न्यायाधीश जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई करेंगे।
- (2) ऐसे किसी आवेदक/आरोपी के संबंध में अग्रिम/नियमित जमानत आवेदन पत्र जो पूर्व में किसी अतिरिक्त सत्र/विशेष न्यायाधीश द्वारा निराकृत किये जा चुके हैं, ऐसे आवेदक/आरोपी के संबंध में पेश होने वाले द्वितीय एवं अन्य पश्चातवर्ती अग्रिम/नियमित जमानत आवेदन पत्र पर एवं उक्त प्रकरण के सह आरोपी/आवेदक से संबंधित अग्रिम/नियमित जमानत आवेदन पत्र सत्र न्यायाधीश के अनुपस्थिति/अवकाश एवं दौरे पर होने की दशा में सत्र न्यायालय के प्रस्तुतकार द्वारा उक्त जमानत आवेदन पत्र सीधे उक्त न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु रखा जावेगा, जिस अतिरिक्त सत्र/विशेष न्यायाधीश के द्वारा पूर्व में अग्रिम/नियमित जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया गया होगा। इस संबंध में पृथक से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।
- (3) कुटुम्ब न्यायालय धमतरी के पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति में/न्यायालय रिक्त होने पर (रजिस्ट्री के परिपत्र क्रमांक-4426/R.G./08, बिलासपुर दिनांक 29.05.2008 के अनुसार) अर्जेंट सुनवाई के आवेदन पत्र (अति-आवश्यक आवेदन पत्र) की सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी के द्वारा किया जायेगा।
- (4) इस कार्य विभाजन आदेश की सुनवाई के क्षेत्राधिकार के संबंध में किसी भी प्रकार का शंका होने पर प्रकरण आदेश हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।
- (5) इस कार्य विभाजन आदेश के किसी भी न्यायालय के रिक्त होने अथवा स्थानांतरण की दशा में उक्त न्यायालय से उद्भूत समस्त कार्यवाहियां एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों के क्रियान्वयन का निराकरण उक्त न्यायालय के अनुपस्थित अवधि में अत्यावश्यक कार्य हेतु अधिकृत न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
- (6) ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश अवधि में अत्यावश्यक सिविल प्रकरणों की सुनवाई लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा एवं उक्त लिंक न्यायिक अधिकारी के अनुपस्थिति में मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा संपादन किया जावेगा।
- (7) रजिस्ट्री के पृष्ठांकन क्रमांक-5198/तीन-4-1/2016, बिलासपुर दिनांक 28.06.2016 के साथ संलग्न छ0ग0शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना

- क्रमांक-5853/1665/21-बी/सी.जी./2016, नया रायपुर, दिनांक 15.06.2016 के आदेशानुसार जिला स्तरीय वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना नया रायपुर में किये जाने के फलस्वरूप एक करोड़ से अधिक के मूल्य वाले साम्प्रतिक वाद सीधे वाणिज्यिक न्यायालय, नया रायपुर को प्रेषित किये जायेंगे।
- (8) रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक-7123/तीन-6-4/2005 (Money Laundering Act)/Cheker बिलासपुर दिनांक 24.07.2021 के साथ संलग्न Government of India, Ministry of Finance Department Revenue No. C-18015/3/2013-Ad.ED (Vol.II), नई दिल्ली, दिनांक 01 जुलाई 2021 एवं भारत का असाधारण राजपत्र दिनांक- 27 मार्च 2017 अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा-4 के अधीन दंडनीय अपराध के विचारण हेतु भारत का राजपत्र में उल्लेखित समस्त छत्तीसगढ़ राज्य हेतु न्यायालय चतुर्थ, जिला न्यायाधीश, रायपुर छत्तीसगढ़ को अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप, उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरण सीधे न्यायालय चतुर्थ जिला न्यायाधीश, रायपुर, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किये जायेंगे।
- (9) धमतरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धमतरी जिले के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न (बाह्य न्यायालय कुरुद व नगरी को छोड़कर) Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act 1994 के अपराध के मामलों का विचारण किया जावेगा।
- (10) कुरुद एवं नगरी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 74, 79 भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act 1994 से संबंधित कुरुद एवं नगरी क्षेत्राधिकार से उत्पन्न हुए अपराधों के मामलों का विचारण किया जावेगा।
- (11) जिला न्यायालय एवं बाह्य न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों में से किसी का भी स्थानांतरण होता है तो उनसे यह अपेक्षा है कि वे नवीन पदस्थापना हेतु कार्यमुक्त होने के पूर्व कार्यालय को लिखित में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे कि उनके न्यायालय में सिविल अथवा क्रिमिनल के ऐसे कितने प्रकरण लंबित हैं जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय ने एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण का निर्देश दिया है।
- (12) यदि किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण हो जाता है तो उसके पद उत्तरवर्ती के द्वारा इस कार्य वितरण आदेश में निर्देशित व्यवस्था के अनुसार उसके पूर्ववर्ती न्यायिक अधिकारी को सौंपे गये न्यायिक कार्य का संपादन किया जायेगा जिसके लिए कार्य वितरण आदेश के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।
- (13) यदि किसी प्रकरण के संज्ञान या विचारण हेतु राज्य शासन/केंद्र शासन/माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय की अधिसूचना के द्वारा किसी न्यायाधीश को सशक्त किया जाना आवश्यक है तो ऐसे मामलों की सुनवाई अधिसूचना द्वारा सशक्त किये जाने के पश्चात उक्त न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए इस कार्य वितरण आदेश में पृथक से व्यवस्था आवश्यक नहीं होगी।

- (14) सभी कार्य, जिसका प्रावधान इस आदेश में उल्लेखित नहीं है उसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के समक्ष विधिवत् आदेश हेतु रखा जाएगा।
- (15) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने, स्थानांतरित हो जाने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके मध्य अत्यावश्यक कार्य का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-

[illegible]

6	श्री राधेश्याम ध्रुव जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी स्थान कुरुद	श्री मोहन सिंह कोराम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी	श्रीमती उषा गेंदले जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी), धमतरी	श्रीमती नमिता मिंज भास्कर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी के न्यायालय में प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	श्रीमती अर्चना भास्कर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी के न्यायालय में द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश
7	श्री विनोद कुमार देवांगन न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय धमतरी	राम कुमार तिवारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी	जिला मुख्यालय के वरिष्ठ जिला न्यायाधीश		

- (16) व्यवहार न्यायाधीश/न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने, स्थानांतरित हो जाने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके मध्य अत्यावश्यक कार्य का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:—

स. क.	अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश	कॉलम क. 2 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायाधीश	कॉलम क. 3 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायाधीश	कॉलम क. 4 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायाधीश	कॉलम क. 5 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य संपादित करने वाले न्यायाधीश
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती तनुश्री गवेल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, धमतरी	कु. मीनू नंद तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, धमतरी	श्री प्रणव वैद्य व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी धमतरी	श्री रजक कुमार निराला व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कुरुद	श्री निलेश कुमार बघेल व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, कुरुद
2	कु. मीनू नंद तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, धमतरी	श्रीमती तनुश्री गवेल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, धमतरी	श्री प्रणव वैद्य व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी धमतरी	श्री निलेश कुमार बघेल व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, कुरुद	श्री रजत कुमार निराला व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कुरुद
3	श्री रजत कुमार निराला व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कुरुद	श्री निलेश कुमार बघेल व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, कुरुद	श्रीमती तनुश्री गवेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, धमतरी	कु. मीनू नंद तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, धमतरी	श्री प्रणव वैद्य व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी धमतरी
4	श्री निलेश बघेल व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, कुरुद	श्री रजत कुमार निराला व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कुरुद	कु. मीनू नंद तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, धमतरी	श्रीमती तनुश्री गवेल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, धमतरी	श्री प्रणव वैद्य व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी धमतरी
5	सुश्री दीपा सुचिता तिर्की व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, नगरी	कु. मीनू नंद तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, धमतरी	श्रीमती तनुश्री गवेल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, धमतरी	श्री प्रणव वैद्य व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी धमतरी	श्री निलेश कुमार बघेल व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कुरुद

6	श्री प्रणव वैद्य व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी धमतरी	कु. मीनू नंद तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, धमतरी	श्रीमती तनुश्री गवेल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, धमतरी	श्री निलेश कुमार बघेल व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कुरुद	श्री रजत कुमार निराला व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कुरुद
---	--	--	---	---	---

सही /—
(राम कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक 1935/एक-11-02/2018

धमतरी, दिनांक 06/09/2025

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ,
2. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) धमतरी,
3. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी,
4. जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश धमतरी के न्याया. में द्वितीय अति. न्यायाधीश धमतरी,
5. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी के न्याया. में प्रथम अति. न्यायाधीश धमतरी,
6. जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश धमतरी के न्याया. के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान कुरुद,
7. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, धमतरी/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी,
8. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद,
9. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, धमतरी के न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश,
/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगरी, जिला-धमतरी,
10. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी,
11. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुरुद जिला धमतरी,
12. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी धमतरी,
13. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ धमतरी/कुरुद/नगरी,
14. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी,
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(राम कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)